



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-11082026-275376
CG-CG-E-11082026-275376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4256]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948

No. 4256]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4434(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित विशेष रेल परियोजना, तालिका के स्तंभ (4) एवं (5) में उल्लेखित तालुका एवं जिला से संबंधित इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी-1

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिरोडा (महाराष्ट्र)	डोंगरगढ़ और गोंदिया के मध्य चौथी रेलवे लाईन (84.10 कि.मी.) / दपूमरे.	गोरेगांव	गोंदिया

[फा.सं. डीसीई/सी/जी/डी.जी.जी.- जी चौथी लाईन/7ए/1]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 6th August, 2026

S.O. 4434(E).— In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below & relating to Tahsil and District in Column (4) & (5) of the table below in the State of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table-1

Sr.No.	Competent Authority	Special Railway Project	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Tirora, Maharashtra.	4th line between Dongargarh-Gondia (84.10 Km)/SECR	Goregaon	Gondia

[F. No. DCE/C/G/DGG-G 4th line/7A/1]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con.)